

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक/एस.डब्ल्यू/2020/3211

श्योपुर, दिनांक 29/03/20

संशोधित आदेश


(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/एस.डब्ल्यू/2020/3163 श्योपुर दिनांक 25.03.2020 एवं आदेश क्रमांक एस.डब्ल्यू/2020/3205 श्योपुर दिनांक 28.03.2020 की कण्डिका क्रमांक 5 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

कण्डिका क्रमांक-5 :- गैस ऐजेन्सी, भी पूर्णतः प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी ।

शेष आदेश यथावत रहेगा ।

(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित)


29/3/20

(सुनील राज/नायर)


अपर जिला मजिस्ट्रेट
जिला श्योपुर (म.प्र.)

श्योपुर दिनांक 29/03/20

पृष्ठा. क्रमांक/एस.डब्ल्यू/2020/3212

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल ।
2. आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ।
3. पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन मुरैना ।
4. कलेक्टर जिला श्योपुर ।
5. पुलिस अधीक्षक श्योपुर ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर ।
7. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल कूनो/सामान्य ।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्योपुर ।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्योपुर/विजयपुर/कराहल ।
10. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्योपुर/बड़ौदा/विजयपुर ।
11. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील श्योपुर/विजयपुर/कराहल/वीरपुर/बड़ौदा ।
12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्योपुर/बड़ौदा/विजयपुर की आदेश की मुनादी कराये जाने हेतु ।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्योपुर/विजयपुर/कराहल की ओर आदेश की मुनादी कराये जाने हेतु ।
14. समस्त कार्यालय प्रमुखजिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ ।
15. समस्त थाना प्रभारीजिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ ।
16. प्रभारी अधिकारी पुलिस कन्ट्रोल रूम श्योपुर ।
17. जिला जनम्पर्क अधिकारी श्योपुर की ओर प्रचार प्रसार हेतु ।


अपर जिला मजिस्ट्रेट
जिला श्योपुर (म.प्र.)